उत्तरांखण्ड पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 2 जून 2011 को सम्पन्न हुई 14 वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

उत्तरांखण्ड पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 14वीं बोर्ड बैठक दिनांक 2 जून 2011 को अपरान्हन 3.30 बजे सचिवालय स्थित एफ0आर0डी0सी0 सभागार में अध्यक्ष, यूईपीपीसीबी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे –

1. श्री राजीव गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तरांखण्ड पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
2- डा0 अजय गैरोला, सदस्य सचिव उत्तरांखण्ड पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
3- श्री जय राज, अपर प्रमुख वन संरक्षक,
4- श्री अर्जून सिंह, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण
5- श्री एस0पी0 सिंह, मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम
6- श्री विनोद कुमार सुमन, सचिव, एमडीडीए
7- श्री वी0एस0 धानिक, सचिव हरिद्वार विकास प्राधिकरण
8- श्री सुभाष चन्द्र, उप सचिव, शहरी विकास विभाग
9- श्री श्मोराज सिंह यादव, नगर निगम,देहरादून
10- श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष आई0ए0यू0

सर्वप्रथम सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया, तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय के अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई । बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्यसूची के बिन्दुओं पर विचार–विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये ।

कार्य सूची संख्या 14.1

बोर्ड की 13 वीं बैठक दिनांक 29 जून 2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन

13वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया तथा बोर्ड सदस्यों द्वारा पिछली बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

कार्य सूची संख्या 14.2
बोर्ड के वर्ष 2011–2012 की बजट का अनुमोदन

बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के व्यय विवरण का अवलोकन किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 का बजट अनुमोदित किया गया । बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड राज्य स्तरीय पर्यावरणीय विशेषज्ञ समिति एवं राज्य स्तरीय पर्यावरणीय मूल्यांकन प्राधिकरण में वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में हुये व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु एक वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित व्यय उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड शासन से अनुरोध किया जाये ।

4.6.11

कार्य सूची संख्या 14.3
वित्तीय वर्ष 2008-09 की बैलेंस शीट एवं आडिट रिर्पोट का अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2008-09 की बोर्ड के Charted Accountant द्वारा तैयार की गई बोर्ड की आडिट रिर्पोट का अवलोकन किया गया तथा बैलेस सीट का अनुमोदन किया गया । अग्रेतर वर्षो की बैलेस सीट एवं आडिट रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु सम्मानित सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई ।

कार्य सूची संख्या 14.4

जल (प्रदूषण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण एवं निवारण) अधिनियम 1981 एवं परिसंकटमय (प्रबन्धन, हथालन एवं सीमापार संचालन) अधिनियम 2008 यथासंशोधित के अनुसार उद्योगों को संयुक्त सहमति जारी करना।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त उद्योगों को ऑन लाइन सुयंक्त सहमति निर्गत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 21.10.2009 में लिये गये निर्णय अनुसार लाल श्रेणी एवं दून वैली क्षेत्र के उद्योगों को एक वर्ष नारंगी श्रेणी के उद्योगों को तीन वर्ष तथा हरी श्रेणी के उद्योगों को पॉच वर्ष की अवधि के लिये संयुक्त सहमति /प्राधिकार सम्बन्धित वर्षो का शुल्क प्राप्त करते हुये निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करने की सहमति व्यक्त की गई ।
ऐसे उद्योग जिनका कुल विनियोजन 5 करोड तक हो एवं जिममें मात्र क्षमता 500 केवीए तक की क्षमता का डी0जी0 सेट स्थापित हो एवं जनरेटर सैट से जनित Used Oil के अतिरिक्त अनुसूची में वर्णित किसी प्रकार का अन्य अपशिष्ठ जनित न होता हो ऐसे उद्योगों हेतु प्राधिकार आवेदन के साथ शुल्क रू 1000/-(एक हजार मात्र) प्रति वर्ष देय होगा एवं इस प्रकार के अन्य उद्योग जिनका कुल विनियोजन 10 करोड तक हो शुल्क रू0 5000/--(पॉच हजार मात्र) प्रति वर्ष देय होगा। शेष उद्योगों में शुल्क पूर्व अनुसार देय होगा ।

कार्य सूची संख्या 14.5
परियोजनाओं के लोकसुनवाई हेतु रू0 75000/- फीस निर्धारित करना ।

प्रस्ताव इस आशय के साथ अनुमोदन किया गया कि प्रति सुनवाई रू0 75000/- का शुल्क देय होगा। यदि किसी कारणवश सुनवाई पुनः करवायी जाती है तो पुनः शुल्क लिया जायेगा ।

कार्य सूची संख्या 14.6
मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यो का पुर्नविभाजन

उक्त सम्बन्ध में बोर्ड में विचार कर यह निर्णय लिया गया कि प्रदत्त शक्तियों का पुर्नप्रतिनिधायन बोर्ड के सुदढीकरण के पश्चात् किया जा सकेगा ।

4.6.11

कार्य सूची संख्या 14.7
बोर्ड के द्वारा स्थापित किये जाने वाले नये क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालयों की अध्यतन स्थिति ।

बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया ।

कार्य सूची संख्या 14.8
दून वैली नोटीफिकेशन 1989 की वर्तमान परिदृश्य में समीक्षा

यह निर्णय लिया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्ताव शासन को प्रेषित करें ।

कार्य सूची संख्या 14.9
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण एवं अनापत्ति निर्गत करने के शक्तियों के प्रतिनिधायन करने के सम्बन्ध में ।

उक्त शक्तियों का प्रतिनिधायन सदस्य सचिव स्तर पर किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदन किया गया ।

कार्य सूची संख्या 14.10
बोर्ड कार्मिकों को शासनादेश अनुसार बोनस की धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

शासनादेश के अनुसार वर्तमान में रू0 10500/– तक के वेतनमान के कार्मिकों को बोनस दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

कार्य सूची संख्या 14.11
बोर्ड के पुर्नगठन के सम्बन्ध में ।

पुर्नगठन के लिये प्रस्ताव पर श्री जे0एस. कामौत्रा, को सदस्य के रूप में सम्मलित करते हुये प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अन्त में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय व उपस्थित समस्त बोर्ड सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुये अध्यक्ष महोदय की सहमति से बैठक का समापन किया गया ।

4.6.11

(डा0 अजय गैरोला)
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(राजीव गुप्ता)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड